The Right to Information Act 2005

Application for obtaining information

From,

V. K. Gaur

H.No. – C-115, Gali No.- 8,

Kanti Nagar Extn., Delhi - 110051

To,

The Chief Public Information Officer (CPIO)

Power Grid Corporation of India Ltd.

'Saudamini' , Plot No – 2, Sector – 29,

Gurgaon – 122001 (Haryana)

Sub: Under the Right to Information Act 2005, Section- 6(1).

R/Sir,

"Please supply me copies of the (1) Preliminary Action Taken Report, (2) Taken Report and (3) final decision of the competent authority in matters of the letter dated 31.07.2013 and above mentioned Ref: representations in this letter filed by Undersigned, addressing to Chairman & Managing Director (CMD) and Director Personnel, Power Grid Corporation of India Ltd.,'Saudamini', Plot No-2, Sector – 29, Gurgaon – 122001 (Haryana) (copy enclosed)."

An IPO worth of Rs. 10/- with no. 65C 641070 & 65C 641071 is attached herewith this letter as RTI Fees.

With Best Regards,

Truly Yours, 20/03/2015

Friday, March 20th 2015

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

"सौदामिनी" प्लाट न – 2.सेक्टर – 29,

गुडगाँव – 121002 (हरियाणा)

पावरग्रिड POWERGRID
केन्द्रीय कार्यालय Corporate Centre
01 AUG 2013
प्राप्त किया RECEIVED
गुड़गाँव GURGAON

दिनांक-31/07/2013

विषय : अधोहस्ताक्षरी **का स्थानांतरण बिडदि** कार्यालय, द.क्षे.– द्वितीय (**बैंगलोर**) से दिल्ली कार्यालय उ.क्षे.– प्रथम **में करवाने बाबत प्रार्थना पत्र** ।

Ref: (1) Order dated 09.01.2013 passed by Hon'ble Delhi High Court in W. P. (C) No. 6909/2010 (V.K. Gaur versus Union of India and others.)

(2) Representation dated 10.10.2010,

(3) Representation dated 12/13 June 2012,

(4) Representation dated 22.01.2013.

(5) Representation dated 25.02.2013.

महोदय

उपरोक्त आलोक के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) **बिडदि** कार्यालय, द.क्षे.– द्वितीय (**बैंगलोर**) में कार्यरत हैं, गत **04 अक्टूबर 2010** को दिल्ली कार्यालय उ. क्षे.– प्रथम से द.क्षे.– द्वितीय कार्यालय हेतु स्थानांतरित एवं तत्कात प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया (संबंधित कार्यालय आदेश संलग्न)। **मेरी** माताजी अंगघात (PARALYSIS ATTACK), **फालिश की मरीज होने के साथ-साथ** 87 **वर्ष** की आयु को प्राप्त कर चुकी **हैं और लगातार चिकित्सा सुविधा पर ही आधारित हैं**। अधोहस्ताक्षरी की पत्नी गठिया **एवं** ओवरी व यूटेरस में सिस्ट (रसौली) की गम्भीर समस्या से ग्रसित हैं। अधोहस्ताक्षरी को अपने परिवार की देखभाल बाबत अत्यन्त आवश्यकता होने के उपरांत भी **बिडदि** कार्यालय, द.क्षे.– द्वितीय में लगभग तीन वर्ष **से कार्यरत हैं** । अधोहस्ताक्षरी **ने** स्थानांतरण **बाबत अनेकों प्रार्थना पत्र** केन्द्रीय कार्यालय में संबंधित **उच्च** अधिकारियों **क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व निदेशक कार्मिक को** स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थना **पत्र दिए प्रार्थना पत्रों के आधारित ही उच्च** प्रबंधन **ने** अधोहस्ताक्षरी को आश्वा**सन दिया था** कि **आपका** दिल्ली कार्यालय उ.क्षे.–प्रथम **में** स्थानांतरित **अतिशीघ्र करवा** दिया जाएगा परंतु **बिडदि** कार्यालय , द.क्षे.– द्वितीय में **कार्यरत हुए** लगभग तीन **वर्ष पूर्ण होने** के उपरांत भी **उच्च** प्रबंधन ने अधोहस्ताक्षरी का स्थानांतरण **आज तक** नहीं किया है।

अधोहस्तक्षरी की माताजी 87 **वर्ष** की वृद्धा हैं **उनकी** देखरेख करने का दायित्व भी अधोहस्ताक्षरी पर **ही** है **और मेरे बच्चे अभी शैक्षिक शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं तथा** वर्तमान **वर्ष** फरवरी 2013 में अधोहस्तक्षरी की पत्नी का ओवरी व यूटेरस में सिस्ट (रसौली) निकालने का मेजर **आपरेशन** भी हुआ है (प्रमाण संलगन) इसी कारण अधोहस्ताक्षरी की पत्नी **को पूर्ण** स्वास्थय एवं स्फूर्ती **बाबत आराम की सख्त आवश्यकता** है तथा **मेरी** माताजी को पुनः अंगघात (PARALYSIS ATTACK) दिनांक - 29/06/2013 को हुआ और उन्हें तुरंत सूर्य नर्सिंग होम दिल्ली के अतिदक्षता विभाग (आई सी यू) में दिनांक - 29/06/2013 से दिनांक - 04/07/2013 तक भर्ती रहना पड़ा है इसी कारण से वह चल फिर नहीं सकती हैं।**और** दैनिक जीवन से संबंधित कार्यकलापों को **करने बाबत** अधोहस्तक्षरी की अपने परिवार के साथ दिल्ली में **अत्यंत आवश्यकता** है और **लगभग** 2900 कि.मी. दूर तैनाती **के कारण** अधोहस्ताक्षरी के परिवार को दैनिक जीवन निर्वाह में **अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा** है।

उक्त के अतिरिक्त पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में स्थानांतरण नियम नहीं होने के कारण उच्च प्रबंधन के चुनिन्दा कृपा-पात्र एवं शक्तिशाली कर्मचारियों को नियुक्ति के उपरांत गुडगाँव एवं दिल्ली के कार्यालय में ही आज तक

31/7/2013

तैनाती पर तैनात रखा गया है। परन्तु उच्च प्रबंधन द्वारा अनेकों स्थानांतरण करके अधोहस्ताक्षरी का मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इसके पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के बाबत ही क्रमशः वर्ष-2006 एवं वर्ष-2010 में पूर्व सुनयोजित साजिश के अंतर्गत बारहवीं कक्षा में शिक्षारथ शिक्षासत्र के दौरान ही स्थानांतरण करके तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया। उपरोक्त वर्णित परिस्तियों में अधोहस्ताक्षरी के परिवार में कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर उच्च प्रबंधन ही सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

अतः माननीय महोदय जी स प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित परिस्तियों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी का स्थानांतरण दिल्ली अथवा एन सी आर के कार्यालय उ.क्षे–प्रथम में करवाने की कृपा करें आपकी महान कृपा होगी ।

सधन्यवाद

भवदीय
31/7/2013
वी. के. गौड़
बिडदि,द.क्षे.–द्वितीय

सलंग्न

1. **चिकित्सा प्रमाण पत्र**